

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला खण्डवा के अन्तर्गत वनमण्डल खण्डवा के वन परिक्षेत्र खालवा पश्चिम कालीभीत के कक्ष क्रमांक 764 का रकबा 79.90 हेक्टेयर वनभूमि, वन परिक्षेत्र गुडी के कक्ष क्रमांक 760 का रकबा 21.10 हेक्टेयर वनभूमि कुल 101.00 हेक्टेयर वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि 47.75 हेक्टेयर वनभूमि इस प्रकार कुल 148.75 हेक्टेयर वनभूमि भाम (राजगढ़) मीडियम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 16/04/18

स्थान: भोपाल


(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
मध्यस्थ, शासन, वन विभाग
सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)